निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 04.05.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आहूत बैठक की कार्यवाही :–

<u>उपस्थिति – संलग्न</u>

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (Civil) No. 10105 of 2017 Dinesh Biwaji Ashtikar Vs State of Maharashtra & Ors में दिनांक 13.01.2026 को पारित आदेश के आलोक में अन्य राज्यों में RTE Act, 2009 की धारा 12(1)(c) का कार्यान्वयन संबंधी अधिसूचना एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों का अध्ययन कर बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 में संशोधन किये जाने हेतु प्रारूप अगले सोमवार तक उपस्थापित किये जाने का निदेश दिया गया।
2. ज्ञानदीप पोर्टल में अद्यतन आवश्यक सुधार हेतु निदेशित किया गया।
3. Indus Action द्वारा तैयार टाईम लाईन को आज ही संचिका में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
4. सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश का अध्ययन कर पोर्टल को अद्यतन करने का निदेश दिया गया।
5. ज्ञानदीप पोर्टल एवं ई–संबंधन पोर्टल को एकीकृत करने एवं ई–शिक्षा कोष से संबद्ध किए जाने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
6. NIC, Patna के प्रतिनिधि को आज की बैठक में सम्मिलित होने की सूचना नहीं दिए जाने के कारण खेद व्यक्त किया गया एवं आज ही शाम में बुलाने का निदेश दिया गया।
7. RTE Act, 2009 की धारा 12(1)(c) के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में शिकायत निवारण प्रणाली के गठन हेतु निदेशित किया गया।
8. RTE Act, 2009 से संबंधित विभागीय निर्गत पत्र/आदेश/अधिसूचना को समेकित कर Master Circular तैयार करने का निदेश दिया गया।
9. ज्ञानदीप पोर्टल पर वैसे विद्यालय जो कि वर्त्तमान में संचालित नहीं है, के संबंध में अग्रेतर आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु बिहार के सभी जिलों को पत्राचार करने का निदेश दिया गया।
10. RTE Act, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत नामांकन एवं नामांकित बच्चों के एवज में दी जाने वाली प्रतिपूर्ति तथा निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्रों को जिला को भेजते हुए अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
11. RTE Act, 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए सभी जिलों को पुनः पत्र प्रेषित करने का निदेश दिया गया।
12. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में निजी विद्यालय शुल्क अधिनियम, 2019 के आलोक में संबंधित नियमावली उपस्थापित करने हेतु निदेशित किया गया।

13. RTE Act, 2009 की धारा 12(1)(c) के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक कैलेंडर जारी करने का निदेश दिया गया।

14. ई–संबंधन पोर्टल पर निजी विद्यालयों के प्रस्वीकृति के Auto Renewal के संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया एवं निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच अथवा सात करने हेतु आवश्यक संशोधन संबंधी संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

15. निजी विद्यालयों को दी जानेवाली प्रतिपूर्ति राशि की जाँच प्रतिवेदन की कार्यवाही पोर्टल पर अपलोड होने के बाद अधिकतम चार कार्य दिवस में भुगतान हेतु उपस्थापि करने का निदेश दिया गया।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक :– 08/RTE 15–02/2021–645/ पटना, दिनांक 06.05.2024

प्रतिलिपि :–श्रीमती उर्मिला कुमारी, उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/Incharge, Code Bucket Pvt. Soln. Ltd./श्री नावेद रेजा, Indus Action) पदाधिकारी/श्री सद्दाम, Code Bucket, शिक्षा विभाग/आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा। 06/05